उत्तर प्रदेश शासन
गृह विभाग (पुलिस) अनुभाग-1
संख्या- 1835/6-पु-1-15-53-2015
लखनऊ 19 अगस्त, 2015

प्रथम संशोधन
संख्या- 2/15/2678/6-पु0-1-15-53-2015
लखनऊ 03 दिसम्बर, 2015

द्वितीय संशोधन
संख्या- 21/2016/2739/6-पु-1-16-53/2015
लखनऊ 26 दिसम्बर, 2016

तृतीय संशोधन
संख्या- 6/2017/2458/6-पु-1-17-53/2015
लखनऊ 07 दिसम्बर, 2017

चतुर्थ संशोधन
संख्या- 6/2018/2169/6-पु-1-18-53/2015
लखनऊ 30 मई, 2018

अधिसूचना
प्रकीर्ण

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा-2 और धारा-46 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी सभी विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के नागरिक पुलिस के उपनिरीक्षक तथा निरीक्षक के चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता का निर्धारण और स्थायीकरण आदि को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा नियमावली, 2015 (यथा संशोधित)

भाग-1- सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ **01-** **(1)** यह नियमावली उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2015 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति **02-** उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा में समूह ''ग'' के पद समाविष्ट हैं

परिभाषाएं **03-** जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में, -

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1994) से है;

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य पुलिस उप महानिरीक्षक से है ;

(ग) ''बोर्ड'' का तात्पर्य इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से है ;

(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत के संविधान से है ;

(ड) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो भारत सरकार का संविधान के भाग-2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए ;

(च) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ;

(छ) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;

(ज) ''विभागाध्यक्ष'' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से है ;

(झ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किन्ही पूर्ववर्ती नियम के अधीन सेवा में किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है ;

(¥) ''नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों'' का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछडे वर्गों से है ;

(ट) ''पुलिस मुख्यालय'' का तात्पर्य मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से है ;

(ठ) ''चयन समिति'' का तात्पर्य सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिये इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार सम्यक् रूप से गठित समिति से है ;

(ड) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा से है ;

(ढ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो ;

(ण) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है ;

भाग-दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग **04-** **(1)** सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाए।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्नलिखित होगी, जब तक कि उप नियम (1) के अधीन उसे परिवर्तित करने का आदेश पारित न किये जायें:-

पदों के नाम	पदों की संख्या		
	स्थायी	अस्थायी	योग
1- निरीक्षक	890	1748	2638

2- उप निरीक्षक	7153	11846	18999

परन्तु यह कि –

(एक)- विभागाध्यक्ष कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न इकाईयों के पदों की संख्या को पुन: अवधारित कर सकता है ;

(दो)- नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे प्रास्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, अथवा

(तीन)- राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग-तीन-भर्ती

भर्ती का स्रोत **05** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :-

(1) **उपनिरीक्षक -**

(एक) – पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से।

टिप्पणी- एक सेवाकाल में पुलिस विभाग के दिवंगत कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो पुलिस उप निरीक्षक के पद पर मृतक आश्रित के रूप में प्रार्थना पत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि पुलिस उपनिरीक्षक के ऐसे पद, प्रत्येक वर्ष सीधी भर्ती के पूर्व सृजित पदों के सापेक्ष उत्पन्न हुई रिक्तियों के कारण भरे जाने वाले पदों के 05 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(दो) - उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के स्वीकृत पदों के कुल संख्या में से पचास प्रतिशत पद, अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस में से भरे जायेंगें जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि सहित तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(तीन) - उपनिरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिये उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के नि:संवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस भी पात्र होंगे जो खण्ड (2) में उल्लिखित अपेक्षा को पूरा करते हों।

(2) **निरीक्षक -**

(क) - निरीक्षक नागरिक पुलिस के स्वीकृत पदों के कुल संख्या के शत प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस में से भरे जायेंगें , जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस का परिवीक्षा अवधि सहित सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(ख) - निरीक्षक, नागरिक पुलिस पद पर पदोन्नति के लिये निरीक्षक नागरिक पुलिस के नि:संवर्गीय पदों पर पदोन्नति ऐसे उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस) भी पात्र होंगे, जो उपखण्ड (क) में उल्लिखित अपेक्षा को को पूरा करते हों।

आरक्षण **06** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, अधिनियम और समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के

आदेशों के अनुसार किया जायेगा। राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खिलाडियों का आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा। यह भी उपबन्धित किया जाता है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिये पात्र नहीं होंगे।

भाग-4-अर्हतायें

राष्ट्रीयता **07**

सेवा में किसी पद सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) – भारत का नागरिक हो; या

(ख) - तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) - भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी – ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता **08**

उप-निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिये किसी अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए ।

अधिमानी अर्हता **09**

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :-

(1) - डीओईएसीसी (डोएक)/(नाइलिट) सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो ; या

(2) - प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या

(3) - राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

टिप्पणी – उक्तांकित अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को अन्तिम चयन सूची में नियम 15(ड.) के अधीन वरीयता दी जायेगी।

आयु **10**

सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि जिस कैलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियां

विज्ञापित की जायं, उसकी जुलाई के प्रथम दिन अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो;

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतम आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी बोर्ड द्वारा रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जायें।

चरित्र **11** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे।

टिप्पणी – संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत् व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति **12** ऐसा कोई पुरूष/ स्त्री-

(क) - जिसने किसी ऐसी स्त्री/ पुरूष से विवाह किया हो जिसका पहले से जीवित पति/ पत्नी हो, या

(ख) - जिसकी पति / पत्नी जीवित होते हुए उसने किसी स्त्री / पुरूष से विवाह किया हो,

उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नही होगा:

परन्तु राज्य सरकार का यदि इस बात का समाधान हो जाय कि विवाह हेतु ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्ष के लिए लागू पर्सनल लॉ के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार है तो वह ऐसा किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

शारीरिक स्वस्थता **13** किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पडने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाय।

टिप्पणी – चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थी की यथास्थिति ऊँचाई, उसके सीने और भार के माप के लिये विहित शारीरिक मानक का परीक्षण करेगा और नाक-नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, वेरीकोज वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस (पूर्ण एवं आंशिक), श्रवण परीक्षण, जिसमें रिनेज परीक्षण, वेब्बर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण, वाक दोष आदि समाविष्ट है, तथा ऐसी अन्य कमियों, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, का भी परीक्षण करेगा।

भाग-पॉंच- भर्ती हेतु प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण **14** नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणीयों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना

विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष ,रिक्तयों की संख्या बोर्ड एवं सरकार को भी सूचित करेगा तत्पश्चात, बोर्ड निम्नलिखित रीति से रिक्तियॉ अधिसूचित करेगा-

(एक) - व्यापक प्रसार वाले दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके,

(दो) - कार्यालय के सूचना -पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/ दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा,

(तीन) - रोजगार कार्यालय को अधिसूचित करके: और

(चार) - जनसंचार के अन्य माध्यमों द्वारा।

उपनिरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15 (क) <u>आवेदन पत्र एवं बुलावा पत्र</u>

अभ्यर्थी केवल एक आवेदन पत्र भरेगा। बोर्ड केवल आनलाइन आवेदन-पत्र स्वीकार करेगा। एक से अधिक आवेदन भरने वाली अभ्यर्थी का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा निरस्त किया जा सकता है। विभागाध्यक्ष बोर्ड से विचार-विमर्श कर किसी भर्ती के लिये आवेदन शुल्क नियत करेंगे। आवेदन पत्र भरने एवं बुलावा पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा निर्धारित की जायेगी एवं इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

सरकार प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिये रिक्तियों की संख्या परिवर्तित कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है।

(ख) <u>लिखित परीक्षा</u>

ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाये जाते हैं उनसे 400 अंकों की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। इस लिखित परीक्षा में, बोर्ड द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, चार अलग-अलग निम्न विषयों का एक प्रश्नपत्र रखा जायेगा :-

	<u>विषय</u>	<u>अधिकतम अंक</u>
1-	सामान्य हिन्दी	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
2-	मूलविधि/संविधान/सामान्य ज्ञान	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
3-	संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
4-	मानसिक अभिरूचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

उपरोक्त प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिये पात्र नहीं होंगे। परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा निर्धारित कर अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक पाली अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में आयोजित कराये जाने हेतु अपने स्तर से निर्णय लेगा। लिखित परीक्षा कराये जाने की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा निर्धारित कर अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(ग) <u>अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा</u>

खण्ड (ख) के अधीन लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से अभिलखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। श्रेष्ठता के आधार पर इस परीक्षा मे बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, बोर्ड द्वारा कुल रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुये, अपने स्तर से निर्धारित की जायेगी। अभ्यर्थियों के इस

परीक्षा हेतु शारीरिक मापदण्ड निम्न होंगे :-

1- पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है :-

(क)- ऊँचाई :

(एक) - सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेन्टीमीटर है।

(दो) – अनुसूचित जनजातियों के पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर है

(ख) सीना :

सामान्य/अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर एवं अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा।

टिप्पणी – न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।

2- महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत् है :-

(क)- ऊँचाई :

(एक) - सामान्य/अन्य पिछड़े तथा अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेन्टीमीटर है।

(दो) – अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर है।

(ख) वजन :

महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 40 किलोग्राम।

इस परीक्षा को कराये जाने हेतु बोर्ड द्वारा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किसी डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे। यदि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाती है तो समिति के अन्य सदस्य को जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किये जायेंगे।

इस परीक्षा को कराये जाने की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा निर्धारित कर अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से असंतुष्ट हो, ठीक परीक्षण के उपरान्त उसी दिन अपत्ति दाखिल कर सकता है। ऐसे समस्त प्रकरणों की आपत्ति के निस्तारण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामित किया जायेगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण, दल द्वारा उपरोक्त नामित अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुन: कराया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पुन : कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जाते हैं, उन्हें भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा एवं तदोपरान्त किसी प्रकार की अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षा -

खण्ड (ग) के अनुसार अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाये गये

अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी । शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने होने के लिये पुरूष अभ्यर्थी को 4.8 किमी0 की दौड़ 28 मिनट में और मिहला अभ्यर्थी को 2.4 किमी0 की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, वे भर्ती के लिये पात्र नहीं होंगे । शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा निर्धारित कर अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी । इस परीक्षा को कराये जाने हेतु बोर्ड द्वारा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किसी डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे। यदि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाती है, तो समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किये जायेंगे।

(ड.) <u>चयन तथा अन्तिम श्रेष्ठता सूची -</u>

खण्ड (घ) के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से उनके द्वारा खण्ड (ख) के अधीन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिगत, बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के क्रम के अनुसार चयन सूची तैयार करेगा और उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षा/चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। बोर्ड द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको के साथ समस्त अभ्यर्थियों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी । विभागाध्यक्ष बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची को अनुमोदनोपरान्त अग्रतर कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

<u>टिप्पणी</u> :- यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं, तो श्रेष्ठता सूची का विनिश्चय निम्नलिखित आदेश में दी गयी प्रक्रियानुसार किया जायेगा :-

(1) – यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो, ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी जो अधिमानी अर्हता (नियम-9 में यथा उल्लिखित क्रम के अनुसार), यदि कोई हो, रखते हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।

(2) - उपर्युक्त के होते हुये भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।

(3) - यदि उपरिलिखित के बावजूद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता, उनके हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

(च) <u>चिकित्सा परीक्षण</u>

खण्ड (ड.) के अनुसार चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी । चिकित्सा परीक्षा हेतु सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परिषद का गठन किया जायेगा जिसमें 03 चिकित्सक रखे जायेंगे जो महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श द्वारा विहित और कोड किये गये ''पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र'' के अनुसार अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण करेगा। जो अभ्यर्थी अपनी चिकित्सा परीक्षा से असंतुष्ट हो, वह ठीक परीक्षा के दिन इस सम्बन्ध में अपील फाइल कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने

चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिनांक के बाद किसी दिन अपील करता है तो उसकी किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा। अपील की सुनवाई हेतु गठित मण्डलीय चिकित्सा परिषद में सम्बन्धित चिकित्सा दोष का विशेषज्ञ होना आवश्यक होगा। चिकित्सा परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किये जायेंगे। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रेतर चयन के लिये आगे ले जाया जायेगा।

चरित्र सत्यापन **16** नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजे जाने के पहले, चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। सामान्यतया: चरित्र का सत्यापन एक माह के भीतर पूर्ण करा लिया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिये आगे ले जाया जायेगा।

प्रोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया **17** **(1)** **<u>उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति :-</u>**

(क) - उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के स्वीकृत पदों के कुल संख्या में से पचास प्रतिशत पदो को अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस में से भरे जायेंगे, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि सहित तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(ख) - खण्ड (क) के अधीन उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर पदोन्नति के लिये उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के नि:संवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस भी पात्र होंगे जो अर्हताओं को पूरा करते हों।

(2) **<u>निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति :-</u>**

निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर नियुक्ति, उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के रूप में मौलिक रूप से नियुक्त किये गये पात्र कर्मियों में से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित रीति में की जायेगी :-

(क) - निरीक्षक नागरिक पुलिस के स्वीकृत पदों के कुल संख्या के शत प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस में से भरे जायेंगें जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि सहित सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(ख) - खण्ड (क) के अधीन निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर पदोन्नति के लिये निरीक्षक नागरिक पुलिस के नि:संवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस भी पात्र होंगे जो अर्हताओं को पूरा करते हों।

(3) **<u>पदोन्नति हेतु चयन समिति :-</u>**

(क) – पदोन्नति हेतु चयन समिति बोर्ड द्वारा गठित की जायेगी।

(ख) – समिति का अध्यक्ष बोर्ड द्वारा नामित होगा तथा जिस पद पर प्रोन्नति के लिये चयन समिति गठित हुई है उस पद के नियुक्ति प्राधिकारी से कनिष्ठ नहीं होगा। समिति में

उपयुक्त स्तर का एक सदस्य विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा और समिति के शेष सदस्य तत्समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार बोर्ड द्वारा नामित किये जायेंगे।

(ग) - पदोन्नति हेतु निर्विवाद ज्येष्ठता सूची पुलिस मुख्यालय द्वारा बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) – चयन समिति सफल अभ्यर्थियों का परिणाम अपनी संस्तुति सहित बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। बोर्ड चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। सूची विज्ञापित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी।

(ड.) – विभागाध्यक्ष अपने अनुमोदन के उपरान्त सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे जो प्रोन्नति हेतु अन्तिम आदेश निर्गत करेगा।

(च) – प्रोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट (Website) पर प्रदर्शित की जायेगी।

भाग-छः- प्रशिक्षण, नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18 (1)- नियम-15 एवं नियम-16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नामों की उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम-15 के खण्ड (ड.) के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, नियुक्ति करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि वे पत्र के जारी किये जाने के दिनांक से या नियुक्ति पत्र में इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किसी दिनांक से एक माह के भीतर सेवा/प्रशिक्षण के लिये उपस्थित हों। किसी अभ्यर्थी द्वारा ऐसा न करने पर उसके चयन/नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगा :

परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व से सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त और कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

(2) नियम-17 के अन्तर्गत यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्तियों के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तों, एक संयुक्त सम्मिलित आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाये या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिसमें उन्हें पदोन्नत किया जाय :

परन्तु इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उक्त पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त हुआ समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति को इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति समझी जायेगी।

19- (1) **(क) -** उपनिरीक्षक के पद पर नियम-15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। बेसिक प्रशिक्षण की अवधि कैडेटों पर पुलिस ट्रेनिंग कालेज मैनुअल में निहित प्रावधान प्रभावी होंगे। बेसिक प्रशिक्षण हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना योगदान प्रशिक्षण हेतु नहीं देता है तो उसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख) - बेसिक प्रशिक्षण में असफल हुये कैडेटों को पूरक प्रशिक्षण कराकर पुन: परीक्षा का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। पूरक प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षण परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसकी सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(2) **(क)-** नियम-17 के अधीन ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किये गये अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित प्रशिक्षण को पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।

(ख)- नियम-17 के अधीन विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी। प्रशिक्षण निदेशालय सफल अभ्यर्थियों की सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायेगी। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को पदोन्नति के पद पर नियुक्त किया जायेगा। प्रथम प्रयास में प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थियों को विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त, पूरक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा और पुन: उनकी परीक्षा ली जायेगी। पूरक प्रशिक्षण में विफल रहने वाले अभ्यर्थियों को पदोन्नति हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और उन्हें उनके पूर्व के पद पर भेज दिया जायेगा।

20- **(1)** सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय :

परन्तु यह कि अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(4) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त सुधार नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(5) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (4) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त हो जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण **21** **(1)** नियम-20 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि;

(क) – उसके द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया हो ;

(ख) – उसका कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहा हो ; और

(ग) – उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की गयी हो।

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहॉ उस नियमावली के नियम-5 के उप नियम-(3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता **22** सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी :-

(1) **<u>दिनांक 02-12-2008 के पूर्व भर्ती उपनिरीक्षक की ज्येष्ठता का अवधारण</u>**

(क) - किसी भी प्रकार से भर्ती किये गये ऐसे उपनिरीक्षक जिन्होंने एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, की ज्येष्ठता प्रशिक्षण संस्थानों में चयन के पश्चात प्रशिक्षण में प्राप्त अंको के प्रतिशत के अनुसार होगी।

(ख) – एक प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त उपनिरीक्षक पूर्ववर्ती प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त उपनिरीक्षकों से कनिष्ठ तथा पश्चातवर्ती प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त उपनिरीक्षकों से ज्येष्ठ होंगे। प्रतिबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती तथा पदोन्नति से नियुक्त उपनिरीक्षक एक ही प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो उस दशा में उनकी ज्येष्ठता जहॉ तक हो सके दोनो स्त्रोतों के लिये विहत कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नति व्यक्ति का होगा) निर्धारित की जायेगी।

(2) **<u>दिनांक 02-12-2008 के पश्चात भर्ती उपनिरीक्षक की ज्येष्ठता का निर्धारण</u>**

(क) – किसी भी प्रकार के चयन से नियुक्त किये गये उपनिरीक्षक की वरिष्ठता उनके चयन की तिथि से निर्धारित की जायेगी। यहॉ चयन की तिथि का तात्पर्य भर्ती प्रकिय्रा के उपरान्त बोर्ड अथवा चयन समिति द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने की तिथि से है।

(ख) - बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उपनिरीक्षकों का चयन एक पृथक चयन माना जायेगा। सीधी भर्ती के अधीन एकल चयन में भर्ती किये गये उपनिरीक्षकों की पारस्परिक ज्येष्ठता बोर्ड द्वारा जारी की गयी अन्तिम चयन सूची के क्रम के अनुसार होगी किन्तु यदि किसी वर्ष में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों में होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष, महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों के लिये सीधी भर्ती एक साथ की जाती है तो चयनित महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता का विनिश्चय एक साथ, उनके द्वारा इन चयन प्रक्रियाओं में प्राप्त अंको के आधार पर किया जायेगा, भले ही दोनो भर्तियों में चयन का दिनांक अलग-अलग हो। इस सम्बन्ध में भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने तथा उनके परिणाम घोषित किये जाने के पश्चात बोर्ड उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद हेतु चयनित समस्त पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों की उनके द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में प्राप्त अंको के आधार पर अलग से संयुक्त योग्यता सूची तैयार करेगा और उसे पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करेगा। तत्पश्चात पुलिस मुख्यालय इन चयनित महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों की उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर ज्येष्ठता का विनिश्चत संयुक्त योग्यता सूची के आधार पर एक साथ करेगा।

(ग) – मृतक आश्रित श्रेणी के अन्तर्गत भर्ती उपनिरीक्षकों एवं कुशल खिलाडियों की

नियमावली, 2011 के अन्तर्गत भर्ती उपनिरीक्षकों के चयन को एक सीधी भर्ती का पृथक चयन माना जायेगा। इस प्रकार से भर्ती उपनिरीक्षकों की पारस्परिक वरिष्ठता प्रशिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंको के प्रतिशत के अनुसार निर्धारित होगी। एक प्रशिक्षण सत्र में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंको के प्रतिशत के समान होने पर उनकी जन्मतिथि की वरिष्ठता को ही पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारण का आधार बनाया जायेगा। अंको का प्रतिशत एवं जन्मतिथि समान होने पर हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी।

(घ) – पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त उपनिरीक्षकों को पृथक चयन माना जायेगा। अगर उपनिरीक्षक पद पर पदोन्नति किसी परीक्षा के माध्यम से की गयी है तो प्रोन्नति के उपरान्त नियुक्त किये गये उपनिरीक्षकों की पारस्परिक ज्येष्ठता बोर्ड द्वारा निर्गत अन्तिम चयन सूची के अनुसार होगी। अगर उपनिरीक्षक पद पर पदोननति ज्येष्ठता के अधार पर की जाती है तो वहॉ एक चयन तिथि में नियुक्त किये गये उपनिरीक्षकों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पोषक संवर्ग में वरिष्ठता के अनुरूप होगी तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित उपनिरीक्षक पश्चातवर्ती वर्ष में चयनित उपनिरीक्षकों से ज्येष्ठ होंगे।

(3) निरीक्षक नागरिक पुलिस की ज्येष्ठता का अवधारण :

पदोन्नति के आधार पर नियुक्त निरीक्षको की ज्येष्ठता उनके चयन के दिनांक से अवधारित की जायेगी। एक ही चयन दिनांक को नियुक्त निरीक्षकों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पोषक संवर्ग में उनकी ज्येष्ठता के अनुसार होगी तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित निरीक्षक, पश्चातवर्ती वर्ष में चयनित निरीक्षकों से ज्येष्ठ होंगे। यहॉ चयन के दिनांक का तात्पर्य उस दिनांक से है, जिस दिनांक को विभागाध्यक्ष, भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण किये जाने के पश्चात बोर्ड या चयन समिति द्वारा प्रेषित की गयी चयन सूची को अनुमोदित करे।

(4) विभाग द्वारा किसी विशेष प्रकरण में पूर्व निर्धारित की गयी नीति के अनुसार ज्येष्ठता का निर्धारण यथावत् बना रहेगा।

(5) उपरोक्त के होते हुये भी अगर ज्येष्ठता के सम्बन्ध में कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आते हैं अथवा कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका निवारण विभागाध्यक्ष द्वारा तर्कसंगत नीति के अनुसार किया जायेगा।

भाग-सात-वेतन इत्यादि

वेतनमान **23** **(1)** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार दिये गये हैं :-

क्रम संख्या	पद का नाम	वेतनमान
1-	उप निरीक्षक	रू0- 9300-34800 ग्रेड पे 4200
2-	निरीक्षक	रू0- 9300-34800 ग्रेड पे 4600

परिवीक्षा अवधि में वेतन **24** **(1)** फाण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा

के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो;

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये जो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फंडामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हों, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग-आठ-अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन **25** किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही सिफारियों पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नही किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की और से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन **26** ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली के अन्तर्गत न आते हो, या सेवा में नियुक्त व्यक्ति पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों, विनियमों और आदेशों के अनुसार शासित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता **27** जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहॉ वह उस मामले में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओ को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामलें में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति **28** इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नही पडेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियो के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।